न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश शर्मा, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या 03/2021

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
हीराराम गर्ग, पूर्व पटवारी, झणकली तह0 शिव, हाल– सेवानिवृत कार्मिक।		जिला कलेक्टर,(भू0अ0) बाडमेर।

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के तहत जिला कलक्टर बाडमेर के आदेश क्रंमाक भू0अ0/वि0जॉ0/2006/8379 दिनांक 26.12.2006 को पारित आदेश जिसके द्वारा अपीलान्ट की दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने एवं निलम्बन काल में पूर्व में दिये गये निर्वाह भत्ते के अलावा अन्य कोई राशि देय नहीं करने के दण्ड से दण्डित किया।

उपस्थितिः––

1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार तहसीलदार, रामसर आज उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांकः .....जुलाई,2021

1. अपीलान्ट के द्वारा यह अपील जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 16 के तहत अपीलान्ट की दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने बाबत पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2006 के विरूद्ध राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 23 के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 23.10.2020 को प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला कलेक्टर बाडमेर से अपील पर टिप्पणी एवं उनके कार्यालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। जिस पर अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार दिनांक 5.4.2021 को उपस्थित हुए।

3. अपीलान्ट को दिनांक 27.07.2021 को व्यक्तिशः सुना गया। अपीलान्ट ने दौरान सुनवाई मुख्य रूप से यह कथन किया कि अपीलार्थी वर्तमान में राज्यसेवा से निवृत हो चुका है। अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण निलम्बित किया गया तत्पश्चात नियम 16 सीसीए के तहत विभागीय जॉच कार्यवाही सम्पादित की गई। अपीलान्ट कार्मिक जिला कलेक्टर कार्यालय बाडमेर के पत्रांक 5730 दिनांक 1.07.2002 के द्वारा कुल 02 आरोप आरोपित किये गये थे किः––

आरोप पत्र संख्या–1

श्री हीराराम गर्ग वर्ष 2002 में पटवारी झणकली के पद पर पदस्थापन्न के दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी विधानसभा क्षेत्र शिव के निर्देशानुसार मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशन हेतु आहुत पटवारियों की विशेष बैठक दिनांक 17.4.2002 में बावजूद पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे। इसी प्रकार श्री हीराराम मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण हेतु प्राप्त दावे, आपत्तियों तथा मतदाता सूची मिलान कार्य हेतु आहूत बैठक दिनांक 2.5.2002 में भी अनुपस्थित रहे। विशेष वाहक पटवार मुख्यालय झणकली भेजने पर भी आप दिनांक 5.5.2002 तक उपस्थित नहीं हुए। तब निरीक्षक (भू0अ0) हरसाणी को विशेष वाहक के रूप में राजकीय वाहन से भेज कर श्री हीराराम को बुलाया गया श्री हीराराम ने मतदाता सूची जैसे समयबद्ध राष्ट्रीय कार्य में उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की तथा कर्तव्य का पालन नहीं किया। श्री राम द्वारा समय पर सूचना नहीं देने से तहसीत शिव की सूचना एगजाई करने में अनावश्क विलम्ब हुआ। श्री राम का उक्त कृत्य कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने की श्रेणी में आता है। जो निन्दनीय है।

आरोप पत्र संख्या–2

श्री हीराराम गर्ग वर्ष 2002 में पटवारी झणकली के पद पर पदस्थापन्न के दौरान दिनांक 17.4.2002 से 4.5.2002 तक बिना अवकाश स्वीकृत कराये स्वेच्छा से अपने कर्तव्यां से अनुपस्थित रहे। श्री हीराराम पूर्व निर्धारित बैठक दिनांक 3.5.2002 में अनुपस्थित रहे। श्री राम ने अवकाश का कोई आवेदन पत्र आदि नहीं भेजा। श्री हीराराम के पटवार बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण उनसे अपेक्षित सूचनाएं एवं पालनाएं समय पर प्राप्त नहीं हुई। श्री राम का उक्त कृत्य स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने से स्वेच्छाचारिता की श्रेणी में आता है जो निन्दनीय है।

4. अपीलान्ट ने कथन किया कि जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा जारी आरोप पत्रों का अपीलान्ट के द्वारा जबाव पेश नहीं करने पर आरोपित आरोपों के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर महोदय द्वारा सीसीए नियम 16 के तहत प्रकरण की विस्तृत विभागीय जॉच करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, शिव को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया। जिनके द्वारा विभागीय जॉच पूर्ण करते हुए अपनी रिपोर्ट दिनांक 20.09.2006 को जिला कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित की उक्त जॉच रिपोर्ट में भी जॉच अधिकारी के द्वारा मुझ अपीलान्ट पर आरोपित आरोपों को प्रमाणित होना मान लिया। तत्पश्चात जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनने के उपरान्त आरोपित आरोपों को प्रमाणित मानते हुए अपीलाधीन आदेश के द्वारा दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

5. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि जॉच अधिकारी के द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अपनी जॉच एकतरफा करते हुए रिपोर्ट जिला कार्यालय को प्रेषित कर दी। जॉच कार्यवाही के दौरान जो पुराराम गवाह द्वारा बयान दिये गये है कि दिनांक 17.4.02 से 2.5.02 तक उक्त पटवारी की दैनिक डायरी हमारे कार्यालय में जमा नहीं है जो रोकर्ड कार्यालय में जमा है, उसकी पूर्ण जॉच की है जिसमें उक्त पटवारी उक्त अवधि में मिटिंग में उपस्थित हुए या नहीं नहीं बता सकता। इसी प्रकार अन्य गवाह के द्वारा अपने बचान में कहा कि कार्यालय की दिनचर्या की बही नहीं प्राप्त हुई है जिससे मैं हाजिर नहीं करा सका, जिन तारीखों में पूर्व पटवारी मिटिंग में उपस्थित रहे या नहीं, इस बाबत जानकारी मुझे नहीं है तथा न ही बिना रिकार्ड के कह सकता हूॅ। ऐसे में स्पष्ट है कि मौखिक साक्ष्य में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होना बताया। ऐसे में

आरोपित आरोप से सम्बन्धित रेकर्ड के अभाव में अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय द्वारा भी जॉच अधिकारी की रिपोर्ट में अंकित साक्ष्यों व दस्तावेजों का न तो तर्क–वितर्क किया और न ही उसकों मानने व न मानने सम्बन्धी कोई कारण आदेश में अंकित किया गया था और न ही कोई विस्तृत विवेचन किया गया है जो निरस्त करने योग्य है।

6. अपीलान्ट को जिला कलेक्टर माहेदय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व भी सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट तहसील कार्यालय में हर मिटिंगों में उपस्थित रहा था तथा कभी भी अनुपस्थित नहीं रहा है। मात्र तत्कालीन तहसीलदार से अनबन हो जाने के कारण तहसीलदार महोदय द्वारा द्वेषभावना के कारण अपीलान्ट के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी।

7. अपीलान्ट ने अन्त में कथन किया कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे एवं दो वार्षिक वेतनवृद्धि बहाल करते हुए व निम्बलन काल के भत्तों के अलावा अन्य सम्पूर्ण राशि दिलाये जाने का आदेश करावें।

8. प्रत्युतर में उपस्थित विभागीय पैरोकार ने जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा पारित आदेश को विधि अनुसार पारित किये जाने का कथन किया एवं उसे उचित ठहराते हुए अपीलान्ट की अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया। साथ ही कहा कि जॉच अधिकारी की जॉच के समय भी दिनांक 2.12.2004 को नोटिस जारी कर तामील करवाया परन्तु वे बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। इसके पश्चात जॉच प्रतिवेदन की प्रति भी उपलब्ध करवाते हुए उनसे प्रत्युतर चाहा परन्तु उनके द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया। अपीलान्ट स्वेच्छा से उक्त दिवसों में अनुपस्थित रहा है। अतः अपीलान्ट की अपील आाधारहीन होने से अस्वीकार की जावे।

9. हमने अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार के द्वारा प्रकट किये गये कथनों पर मनन किया तथा अपील/उपलब्ध दस्तावेजों इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया जिससे प्रथमतः यह पाया जाता है कि अपीलान्ट के द्वारा जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा दिनांक 26.12.2006 को पारित किये उनके विरूद्ध पारित किये गये अपीलाधीन आदेश के खिलाफ अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 90 दिवस की म्याद अवधि गुजर जाने के उपरान्त यह विभागीय अपील दिनांक 23.10.2020 को यानि लगभग 14 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई जिसे अन्दर म्याद शुमार किये जाने हेतु किसी प्रकार के कोई ठोस साक्ष्य प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जा सके।

10. अपीलान्ट एक जिम्मेदार कार्मिक यानि पटवारी जैसे महत्वपूर्ण एवं राजकीय विभागों की कडी माने जाने वाले पद पर पदस्थापित रहा है जिसे राजकीय रेकर्ड संधारण एवं राजकीय कार्यो का दायित्व रहता है, उसे अपने विरूद्ध पारित किये गये वेतनवृद्धि रोके जाने के आदेश की जानकारी इतने समय में नहीं होना, किसी भी स्टेज पर नहीं माना जा सकता है। अधिनस्थ कार्यालय की पत्रावली से भी यह प्रकट होता है कि अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.1.2007 को प्राप्त किया जा चुका है। ऐसे में अपीलान्ट की यह प्रस्तुत अपील पूर्णतः म्याद बाहर होने से स्वीकार नहीं की जा सकती।

11. इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के द्वारा अपनी अपील में दर्शाये गये अनुपस्थिति दिवसों को उपस्थित रहने सम्बन्धी कोई साक्ष्य भी संलग्न पेश नहीं किये है जिससे उनके कथनों को बल मिलता हो। अपीलान्ट को जॉच अधिकारी के द्वारा दिनांक 2.12.2004 के द्वारा एवं जिला कलेक्टर द्वारा जॉच प्रतिवेदन की प्रति दिनांक 13.7.2006 को उपलब्ध करवाते हुए अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना भी स्पष्ट प्रतीत होता है। अपीलान्ट के द्वारा उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने बाबत किये गये कथन असत्य प्रतीत होते है। ऐसे में उल्लेखित समस्त तथ्यों के आधार पर गहनतापूर्वक मनन करने के उपरान्त हम यह समझते है कि अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है।

12. अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2006 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक .07.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर